7/10/2025 पत्रावली पेश। अभिभाषक प्रार्थी एवं सरकार पेशीकार उपस्थित। सरकार पेशीकार द्वारा जवाब पेश किया गया। जिसकी प्रति अभिभाषक प्रार्थी को दिलाई गई। बहस उभय पक्ष सुनी गई। साक्ष्य पेश करने हेतु अभिभाषक प्रार्थी द्वारा समय चाहा गया। न्यायहित में समय दिया जाकर पत्रावली वास्ते साक्ष्य प्रार्थी एवं आदेश दिनांक 16/10/2025 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना, जिला झालावाड

16.10.25 पत्रावली पेश। अभिभाषक प्रार्थी एवं सरकार पेशीकार उप०। पत्रावली वास्ते आदेश अधिकारी दिनांक 4/11/2025 को पेश हो।

4.11.2025 पत्रावली पेश। अभिभाषक प्रार्थी एवं सरकार पेशीकार उप०। पत्रावली के पेपर ~~तहसीलदार मनोहरथाना की रिपोर्ट दिनांक~~ उपखण्ड स्तरीय जन सुनवाई में दिनांक 22/12/24 को दिलवाई गई। रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी का नाम आयशा पुत्री मुईनुद्दीन न्यायालय आदेश मुताबिक डिक्री की पालना में नामा. सं. 2095 दिनांक 27-4-2011 से खाता संख्या 526 जमाबंदी संवत 2064-67 में दर्ज हुआ है। ~~चूंकि~~ बहस उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गौर पूर्वक अवलोकन पश्चात यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी का उक्त नाम न्यायालय के आदेश से दर्ज हुआ है; जो कि विधिपूर्वक सही है। तथा प्रार्थी ने अपने कथन के समर्थन में ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है जिससे सिद्ध होता हो कि शाहिदा की आयशा, जिसका नाम जमाबंदी रिकॉर्ड में गलत दर्ज है। अत: प्रार्थना पत्र प्रार्थी साक्ष्य के अभाव में खारिज निर्णीत किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो। पुन: रूप विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर
मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज.)

प्रकरण संख्या :– 196/24
उनवान :– शाहिदा बनाम सरकार
निर्णय दिनाँक :–04.11.2025

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर मनोहरथाना जिला झालावाड़

पीठासीन अधिकारीः– पुष्कर कुमार मित्तल (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 196/24
दायर दिनाँक :– 09.09.2024
निर्णय दिनाँकः– 04.11.2025
उनवान :– शाहिदा

बनाम

राजस्थान सरकार

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– 1 श्री घनश्याम मीणा नायब तहसीलदार सरकार पैरोकार
2 श्री कैलाशचंद वेष्णव, अधिवक्ता प्रार्थी

–: निर्णय :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है, प्रार्थी शाहिदा पुत्री मोइनुद्दीन पत्नी कदीर मो0 जाति मुसलमान निवासी मनोहरथाना हाल मुकाम हाट मोहल्ला वार्ड नं0 16 छिपाबडौद तहसील छिपाबडौद ने जरिए अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि ग्राम मनोहरथाना तह0 मनोहरथाना की खाता संख्या नया 755 (पुराना 693) की कुल किता 02 की 0.5504 हेक्टेयर, खाता संख्या नया 408 (पुराना 693) की कुल किता 02 की 0.3237 हेक्टेयर, व खाता संख्या नया 754 (पुराना 599) की कुल किता 01 की 0.0081 हेक्टेयर भूमि प्रार्थी एवं अन्य सहखातेदारान के शामिल खाते दर्ज रिकार्ड है।

वाद में उल्लेख किया गया है कि उक्त भूमि के राजस्व अभिलेखों में प्रार्थी का नाम " आयशा पुत्री मोइनुद्दीन " दर्ज है, जो लिपिकीय त्रुटि और गलत है। वास्तव में प्रार्थी का नाम " आयशा पुत्री मोइनुद्दीन " है, जैसा कि आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड आदि सरकारी दस्तावेजों में प्रमाणित है।

आगे वाद में कहा गया है कि प्रार्थी के नाम की इस त्रुटि के कारण प्रार्थी को सरकारी सुविधाएं प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है एवं उन्हें

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज.)

मानसिक कष्ट भी हो रहा है। वादीगण ने तहसीलदार मनोहरथाना को नाम संशोधन हेतु प्रार्थना पत्र दिया था, किन्तु कोई उचित कार्यवाही नहीं हुई। अतः प्रार्थी ने न्यायालय से अनुरोध किया है कि प्रार्थना–पत्र में वर्णित उक्त आराजी में प्रार्थी का नाम " आयशा पुत्री मोईनुद्दीन " के स्थान पर " शाहीदा पुत्री मोईनुद्दीन " संशोधित किया जाए और राजस्व अभिलेखों में इसका संशोधन प्रभावी रूप से अमल में लाया जाए। साथ ही न्यायालय से प्रार्थीगण को आवश्यक व्यय, वाद के खर्च और अन्य न्यायोचित सहायता प्रदान करने की भी प्रार्थना की गई है। प्रार्थी ने इस वादपत्र के साथ शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है।

इस वाद को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मनोहरथाना में प्रस्तुत किया गया था। जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाकर बहस उभयपक्षकारान सुनी गई।

हमने प्रार्थना–पत्र एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का गौरपूर्वक अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। पत्रावली के संलग्न उपखण्डस्तरीय जन–सुनवाई में दिनांक 22.12.2024 से प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक नामा0 सं0 2095 निर्णय दिनांक 27.04.2011 न्यायालय आदेशानुसार डिकी विभाजन में प्रार्थीया का नाम आयशा पुत्री मोईनुद्दीन दर्ज हुआ है। अतः बाद अवलोकन एवं मनन यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थीया द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज साक्ष्य के रूप में पेश नही किया गया है, जिससे सिद्ध होता हो कि शाहीदा पुत्री मोईनुद्दीन ही आयशा पुत्री मोईनुद्दीन है, जिसका कि नाम जमाबंदी में दर्ज है, तथा शाहीदा पुत्री मोईनुद्दीन को गलत तरीके से जमाबंदी में आयशा पुत्री मोईनुद्दीन दर्ज कर दिया गया है।

अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थीया साक्ष्य के अभाव में खारिज़ निर्णित किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा न्यायालय की मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(पुष्कर कुमार मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर,मनोहरथाना